

पत्रांक—बिंप्र०सु०मि०सो०/स्था०—16/2020 सो० 384
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

सतीश रंजन सिन्हा,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय:-

मानदेय में वार्षिक वृद्धि दिये जाने के प्रयोजन हेतु सफलतापूर्वक पूर्ण की गई कार्य अवधि की गणना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कतिपय जिलों के कार्यपालक सहायकों द्वारा हड़ताल पर रहने की स्थिति में मानदेय में वार्षिक वृद्धि देय है या नहीं, के संबंध में मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है।

यह उल्लेखनीय है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के पत्रांक-488, दिनांक-07.03.2019 के कंडिका-05 के आलोक में मानदेय वृद्धि की गणना प्रत्येक वर्ष 01ली जनवरी तथा 01ली जुलाई को आधार मानकर की जानी है। तदनुसार पिछले मानदेय वृद्धि की तिथि अथवा नियोजन की तिथि (नये नियोजनों के मामले में) से सफल सेवा का 01 वर्ष पूर्ण किये जाने की स्थिति में 01ली जनवरी अथवा 01ली जुलाई (जो लागू हो) से आर्थिक लाभ दिया जाना है।

उपर्युक्त वर्णित प्रावधान के क्रम में सफलतापूर्वक पूर्ण की गई कार्य अवधि की गणना के संबंध में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी का पत्रांक-1144, दिनांक-08.07.2020 निर्गत है, में स्पष्ट किया गया है कि "...अनुपस्थित अवधि जिसका मानदेय भुगतेय नहीं है, की गणना सफल तरीके से कार्य करने की अवधि में नहीं की जायेगी" (प्रति संलग्न)।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

31-1-22

(सतीश रंजन सिन्हा)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक :- बिंप्र०सु०मि०सो०/ स्था०—16/2020 सो० 384, दिनांक 01/02/2022

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, भोजपुर/जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31-1-22

विशेष कार्य पदाधिकारी

पत्रांक—बिंप्र०सु०मि०सो० / स्था०—11/2019 सो०।।।।।
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

सतीश रंजन सिन्हा,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय:-

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के शासी परिषद की 26वीं बैठक में लिये गये निर्णय के संबंध में।

प्रसंग:-

दिनांक—10.06.2020 के शासी परिषद की कार्यवाही के कार्यावली बिंदु—06, मिशन कार्यालय का पत्रांक—488, दिनांक—07.03.2019 एवं मिशन कार्यालय का पत्रांक—1421, दिनांक—07.08.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक शासी परिषद की 26वीं बैठक के कार्यावली बिंदु—06 में आई०टी० प्रबंधक वर्ग—1 के आई०टी० प्रबंधकों को उनके द्वारा नियोजन के उपरान्त 5 वर्ष का सफल कार्यकाल पूरा करने पर उनको अगले 01ली जनवरी/01ली जुलाई को आई०टी० प्रबंधक वर्ग—2 में उत्क्रमण तथा उक्त तिथि को उनके द्वारा प्राप्त किया जा रहा मानदेय अथवा उत्क्रमित वर्ग का मानदेय चुनने के विकल्प दिये जाने को शासी परिषद द्वारा स्वीकृत किया गया है।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी का पत्रांक—488, दिनांक—07.03.2019 एवं पत्रांक—1421, दिनांक—07.08.2019 द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन सृजित संविदात्मक पदों पर कार्यरत आई०टी० प्रबंधक, आई०टी० सहायक एवं कार्यपालक सहायक के मानदेय का निर्धारण किया गया है।

आई०टी० प्रबंधक वर्ग—2 में उत्क्रमण तथा उक्त तिथि को उनके द्वारा प्राप्त किया जा रहा मानदेय अथवा उत्क्रमित वर्ग का मानदेय चुनने के विकल्प चुनने के क्रम में सफलतापूर्वक पूर्ण की गयी कार्यावधि की गणना यथा ‘अनुमान्य आकस्मिक अवकाश, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अवकाश, रविवारीय एवं शनिवारीय (जहाँ लागू हो) अवकाश से अतिरिक्त अनुपस्थित अवधि जिसका मानदेय भुगतेय नहीं है, की गणना सफल तरीके से कार्य करने की अवधि में नहीं की जायेगी’, के अनुसार की जानी है।

उपर्युक्त वर्णित के आलोक में सफलतापूर्वक पूर्ण की गयी कार्यावधि की गणना करने के क्रम में इसका दृढ़ता से पालन करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

(सतीश रंजन सिन्हा)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक :— बिंप्र०सु०मि०सो० / स्था०—11/2019 सो०।।।।।, दिनांक....., ०८/०८/२०२०

प्रतिलिपि :— प्रशासनिक पदाधिकारी/वित्त एवं लेखा पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी,

बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— संबंधित आई०टी० प्रबंधकों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

विशेष कार्य पदाधिकारी